उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

पत्र सं0: 889–मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2016–5 मा0सं0–03/2015 दिनांक: 22-05-2016

"कार्यालय ज्ञाप"

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता के पद पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा 3(7) के अन्तर्गत पदोन्नति से लाभान्वित अवर अभियंता (वि0 एवं यॉ0) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 एवं शासनादेश संख्या 8/4/1/2002 टी0सी0–1–का–2/2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में दिनांक 15.11.1997 से 28.04.2012 के मध्य प्रोन्नत कार्मिकों को पदावनत किये जाने से सम्बन्धित निगमादेश संख्या 3074–मा0सं0–03/उनिलि/2015 दिनांक 03.10.2015 के विरूद्ध सम्बन्धित कार्मिको द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समेकित रूप से एतदद्वारा निम्नवत् निस्तारण किया जाता है:–

क0 सं0	प्रत्यावेदन के बिन्दु	कार्यालयी अभिलेख/सूचना के अनुसार स्थिति
1	प्रार्थीगणो को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्यालय ज्ञाप सख्या 3074 –मा0सं0–03/उनिलि/2015–5(11)मा0सं0–03/ 2015 दिनांक 03.10.2015 के द्वारा अवर अभियंता से टी0जी0–I/II (ई0एण्ड एम0) के पद पर पदावनत कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि प्रार्थीगण ने अवर अभियंता के रिक्त 359 पदों को भरे जाने हेतु सचिव विद्युत सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन सं0 1020–वि0से0आ0/ अवर अभियंता (पदोन्नति)/ 03 दिनांक 14.11.2003 के विरूद्ध चयन हेतु आवेदन किया था जिसमे परिचालकीय संवर्ग के कुशल कर्मचारियों जो पद के अनुरूप शर्तो व योग्यता रखते है पात्र होते है। वर्तमान में अवर अभियंता के पद पर कार्य कर रहे है उनका चयन परिचालकीय सवंर्ग से अवर अभियंता के पद पर विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 412– मा0सं0–03/ उनिलि/ 2005–9(31)/मा0सं0– 03/2002, दिनांक 26.02.2005 के द्वारा चयनित होकर अनपरा/ओबरा ताप विद्युत गृह पर नियुक्त किया गया था।	विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सख्या 1020–विसेआ/अवर अभि0(पदोन्नति)/2003 दिनांक 14.11.2003 द्वारा अवर अभियंताओं की पदोन्नति हेतु निम्नवत् स्पष्ट उल्लिखित था:– विद्युत एवं यॉत्रिक अभियत्रण सेवा विनियमावली– 1972 (यथा संशोधित) निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवा में कार्यरत सामान्य जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिचालन वर्ग के कुशल कर्मचारी अवर अभियंता सामान्य श्रेणी पद पर पदोन्नति हेतु लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित हेतु आवेदन कर सकते है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त पद चयन द्वारा पदोन्नति का पद है न की सीधी भर्ती का अत: सम्पूर्ण प्रकरण का निस्तारण शासनादेश संख्या 8/4/1/ 2002 टी0सी0–1 का– 2/2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुरूप ही किया गया है।
2	विभाग में अवर अभियंता का पद नियुक्ति का पद है जिस पर नयी भर्ती की जाती है। जो कि चयन प्रकिया में आता है तथा विभाग ने समस्त चयन प्रकिया को प्रार्थी से पूर्ण कराकर प्रार्थी को अवर अभियंता पद पर नियुक्त करने के उपरान्त तैनात किया था।	निगम में अवर अभियताओं की नियुक्ति/पदोन्नति U.P. State Electrcity Subordinate Electrical and Mechanical (E&M) Engineering Service Regulation 1972 के भर्ती के श्रोत के नियम 5(बी) के अनुसार निम्नवत् की जाती है:– (i) सीधी भर्ती द्वारा (ii) प्रोन्नति द्वारा नियम 17 एवं 18 मे दिये गये प्राविधानानुसार अर्थात अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा प्रोन्नति के पदों को भरे जाने का प्राविधान है। जिसमे अभ्यर्थी नियम 5बी (ii) से आवरित होते है।

3	यह भी कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों का अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नति का पद पर प्रोन्नति का पद न होकर चयन का पद है। जिसकी आख्या स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (ई0एण्डएम0) रेग्यूलेशन 1972 के सम्बन्धित प्राविधानों में भी किया गया है तथा समय–समय पर पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन नि0लि0 द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आदेश जारी किये गये है। 1. आदेश संख्या–153–का0वि0नि0(1)रा0वि0प0–29/96–4(3)पी186 दिनांक 03.04.1996 2. आदेश संख्या 4(1)विनियम/पाकालि/12–2(21) एम0जी0 एम0 /04 दिनांक 03.02.2012 एवं आदेश संख्या–1513–मा0सं–03/उनिलि/2012– 5(8) मा0सं0–08/2012 दिनांक 27.06.2012	निगमादेश संख्या 1513–मा0सं0–03/ उनिलि/ 2012, दिनांक 27.06.2012 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की गयी है उपरोक्त आदेश उ0प्र0 राज्य विद्युत अधीनस्थ (वि0 एवं यॉ0) सेवा विनियमावली–1972 में संशोधन न होकर मात्र परिचालकीय संवर्ग के कार्मिको की वरिष्ठता के आधार पर अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति अवरूद्ध होने के कारण समयबद्ध वेतनमान की गणना हेतु स्पष्टीकरण है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिचालकीय संवर्ग के कार्मिको को अवर अभियंता पद का समयबद्ध वेतनमान देय नहीं है क्योंकि वही कार्मिक अवर अभियंता के वेतनमान हेतु अर्ह होते है जिनका परिचालकीय संवर्ग से चयन के माध्यम से अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है। अतः परिचालकीय संवर्ग के कार्मिको की इस मॉग के सम्बन्ध में कि उनको अवर अभियंता पद का समयबद्ध वेतनमान देय हो, के सम्बन्ध में निगमादेश संख्या 1513–मा0सं0–03/ उनिलि/ 2012, दिनांक 27.06.2012 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि परिचालकीय संवर्ग के सभी कार्मिको की अवर अभियंता पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं की जाती है बल्कि उन्ही कार्मिको को यह लाभ प्राप्त है जिनका चयन विद्युत सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा/साक्षात्कार से किया जाता है। अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परिचालकीय कार्मिको हेतु चयन कोई श्रोत नहीं है अपितु U.P. State Electrcity Subordinate Electrical and Mechanical (E&M) Engineering Service Regulation 1972 के भर्ती के श्रोत के नियम 5(बी) अनुसार अवर अभियंता के पद पर भर्ती निम्नवत् की जाती है:– (i) सीधी भर्ती द्वारा (ii) प्रोन्नति द्वारा नियम 17 एवं 18 के प्राविधानानुसार अर्थात अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा प्रोन्नति के पदों को भरे जाने का प्राविधान है।
4 *	यह है कि प्रार्थी को विभाग में परिचालकीय श्रेणी द्वितीय (टी0जी0–02) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दि0 04.10.1986 को हुई है, जबकि प्रार्थी के पश्चात् टी0जी0–2 के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति किये गये निम्नलिखित कार्मिक अर्थात प्रार्थी से कनिष्ठ सामान्य वर्ग के कार्मिक वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर यथावत कार्यरत हैं। जिसका उदाहरण निम्नवत् प्रस्तुत है:–	**कम संख्या 01**–श्री राम नवमी आरक्षित वर्ग के (टी0जी0–2/1986 बैच) जो कि वर्ष 2005 में परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता पद पर बैकलॉग कोटे के (अनुसूचित जन जाति) रिक्त पदों के विरूद्व प्रोन्नत किये गये थे इन्हें धारा 3(7) का लाभ लेकर प्रोन्नति प्रदान की गयी। अतः इन्हें पदावनत कर पुनः अगले चयन में दिनांक 01.09.2009 से अवर अभियंता पद पर प्रोन्नत माना गया। इनके कुल प्राप्तांक 101.75 है जो कि उक्त चयन में सामान्य वर्ग के अन्तिम चयनित कार्मिक के प्राप्तांक 127.5 से कम होने के कारण एवं आरक्षण का लाभ लेकर अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति हुई थी। **कम संख्या 2**–श्री अजय कुमार सिंह के उक्त चयन में सामान्य वर्ग के अन्तर्गत प्राप्तांक 135.5 है। **कम सं0 3**–राजेन्द्र प्रसाद टी0जी0–2/ 1989 बैच के वर्ष 2005 में अवर अभियंता के पद पर आरक्षित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किये गये। श्री राजेन्द्र प्रसाद के वर्ष 2005 के चयन में (प्राप्तांक 155.75) है। अवर अभियंता की मेरिट में नियतन

क0सं0 एवं वर्ग	कार्मिको का नाम	परिचालकीय सवर्ग में नियुक्ति एवं वर्ष	अव0 अभि0 के पद पर नियुक्ति तिथि / वरिष्ठता सं0	टिपण्णी
1.आरक्षित वर्ग	राम नवमी	टी0जी0–2 3.11.1986	03.03.2005 (2005341)	अवर अभि0 के पद पर वरिष्ठता कम में कनिष्ठ कर दिया गया है।

	2.सामान्य वर्ग	अजय कुमार सिंह	टी0जी0–2 1998	02.03.2005 (2005197)	अव0 अभि0 के पद पर पूर्व निर्धारित वरिष्ठता पर स्थित है।	स्थान पर अवस्थित सामान्य वर्ग के कार्मिक के (प्राप्तांक 127.5) है। अतः सामान्य वर्ग के अन्तिम चयनित कार्मिक से अधिक अंक प्राप्त करने के कारण श्री प्रसाद को पदावनत नहीं किया गया। **क्रम सं0 4–** इं0 राम प्रकाश राय वर्ष 2005 में सामान्य वर्ग (प्राप्तांक 154.5) के अभ्यर्थियों के विरूद्ध अवर अभियंता पद पर प्रोन्नत हुये थे। परिचालकीय संवर्ग की एकल वरिष्ठता सूची न होकर परियोजनावार वरिष्ठता सूची बनाई जाती है। परिचालकीय कार्मिको की अवर अभियंता पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति नहीं होती है।
	3. आरक्षित वर्ग	राजेन्द्र प्रसाद	टी0जी0–2 1998	01.03.2005 (2005048)	सहा0 अभि0 के पद पर यथावत कार्यरत है। 2012 (2012068)	
	4.सामान्य वर्ग	राम प्रकाश राय	टी0जी0–2 / 1989	01.03.2005 2005054)	2012 (2012078)	
	(* की अनुरूपता में समस्त प्रत्यावेदनकर्ताओं के परिप्रेक्ष्य में उदाहरार्थ प्रस्तुत कि सभी की प्रोन्नति वर्ष 2005 में धारा 3(7) का लाभ देकर की गयी है।					
5	अग्रतर सीधी भर्ती द्वारा विभागीय परीक्षा द्वारा चयन के माध्यम से अवर अभियंता के पद पर नियुक्त कार्मिको का आगमन बिन्दु है। जिससे कार्मिक को समयबद्ध वेतनमान का विकल्प चयन करने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सुनिश्चित की गयी है। उपरोक्त विकल्प का चयन करके ही इच्छुक अवर अभियंता (वर्तमान पद सहायक अभियंता) वर्ष 2012 से द्वितीय समयबद्ध वेतनमान (अधिशासी अभि0) से लाभन्वित भी है।					पूर्व में धारा 3(7) का लाभ प्राप्त कर अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नत किया गया था। अवर अभियंता की एकल वरिष्ठता सूची अनुसार उनकी सहायक अभियंता के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की गयी। चूँकि अवर अभियंता पद पर की गयी प्रोन्नति में इन कार्मिको को धारा 3(7) का लाभ प्राप्त हुआ था, अतः उपरोक्त पदावनत आदेश के फलस्वरूप वह अवर अभियंता पद की पूर्व की वरिष्ठता सूची से विलोपित कर अगले चयन के कार्मिको के साथ सज्जित/स्थापित हो गये है।
6	बिन्दु 5 के स्पष्टीकरण हेतु उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के पत्रांक 24–मा0सं0–02/उनिलि/2009– 12 मा0सं0– 02/ 2007 दिनांक 04.01.2010 एवं पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के पत्रांक 153–का0वि0नि0/रा0 वि0 प0–29/ 96–4(3)पी/86 दिनांक 03 अप्रैल 1996 का अवलोकन करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न) उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी से कनिष्ठ सामान्य वर्ग के कार्मिक सहायक अभियंता के पद पर यथावत कार्यरत है। अतः प्रार्थी को पदावनत किया जाना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं अन्याय पूर्ण होने के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 में निहित आदेश के अनुपालन हेतु शसनादेश संख्या 8/4/ 1/2012 टी0सी0– 01का–02/2015 दिनांक 21.08.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जारी दिशा निर्देश के विरूद्ध है। दिनांक 21.08.2015 के शासनादेश में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये है कि यदि जिन कार्मिको को अधिनियम–1994 की धारा 3(7) अथवा नियम 8क का लाभ देकर प्रोन्नत की गयी है, उन कार्मिको से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हो उसी स्तर					इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्गत /आदेश के अनुपालन में निगमादेश संख्या 3074–मा0सं0–03/उनिलि/ 2015 दिनांक 03.10.2015 द्वारा पदावनत आदेश निर्गत किये गये जिसमें इन्हें अगले चयन में वर्ष 2009 में चयनित मानते हुए सामान्य वर्ग के अन्तिम चयनित अवर अभियंता के ठीक नीचे वरिष्ठता क्रम में सज्जित/स्थापित किया गया है। चूँकि परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता पद पर धारा 3(7) का लाभ देते हुए प्रारम्भिक पदोन्नति की गयी थी। तद्नुसार अवर अभियंताओं की एकल वरिष्ठता सूची में उन्हें यथा संशोधित स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। अतः नियमानुसार संशोधत वरिष्ठताक्रम में सम्बन्धित कार्मिक के सहायक अभियंता पद पर अर्ह होने पर प्रोन्नत प्रदान की जायेगी जबकि अवर अभियंताओं की एकल वरिष्ठता सूची में इनसे कनिष्ठ अवर अभियंता को 3(7) का लाभ प्राप्त न होने के कारण पदावनत नहीं किया गया है एवं तद्नुसार उनकी सहायक अभियंता पद पर स्थिति यथावत है।

	तक उन्हें पदावनत किया जाए। अतः उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों/आधारों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्रार्थी को पदावनत करने सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण विषय विरूद्ध एवं अवैधानिक निगमादेश सं0 3074–मा0सं0–03/ उनिलि/2015 दिनांक 03.10. 2015 को निरस्त कर प्रार्थी को न्याय प्रदान करने की कृपा करे।	
7	अवर अभियंता पद की सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए अवर अभियंता पद पर नियुक्त करते हुए प्रार्थी का वेतनमान स्थानापन्न करने के उपरान्त प्रार्थी को तैनात किया गया था। जो कि पदावनत की श्रेणी में किसी प्रकार से नहीं आता है।	विभागीय कार्मिको की पदोन्नति के उपरान्त उनका वेतनमान स्थानापन्न (Fixation) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है अतः यह पदोन्नति का पद है अन्यथा यदि सीधी भर्ती के पदों पर चयन की दशा में प्रारम्भिक वेतनमान ही अनुमन्य किया जाता है।

प्रबन्धक निदेशक

पत्र सं0: 889 –मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2016 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (मा0सं0) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईधन/आर एण्ड एम/जानपद/जानपद एवं नव परियोजना/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक/मुख्य अभियंता, अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज, ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सोनभद्र/कानपुर/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़) को इस आशय से प्रेषित कि आपकी परियोजना पर तैनात सम्बन्धित कार्मिको को अपने स्तर से इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, जे रोड, सेक्टर सी, महानगर विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ–226010
10. अनुसचिव (मा0सं0–01), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. सहायक अभियन्ता (डाटा बेस इकाई), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. सम्बन्धित कार्मिक को उनके पूर्व प्रेषित प्रत्यावेदन एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिये गये प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में:–

1 शीतला प्रसाद पुत्र स्व0 औसान, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
2 राज अजोर पुत्र श्री लक्ष्मीनाथ, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
3 गोपाल सिंह पुत्र श्री तीर्थ राज सिंह, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
4 यज्ञ नारायण सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
5 ओम प्रकाश पुत्र श्री छोटेलाल, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
6 वेद प्रकाश वर्मा पुत्र श्री रघुवीर दयाल वर्मा, अवर अभि0, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
7 कमलेश पुत्र श्री शत्रुधन सिंह, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।

8 नरसिंह राम पुत्र श्री राम किशुन राम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
9 राम अवध पुत्र श्री सलजोर राम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
10 आशा राम पुत्र स्व0 जोखई राम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
11 ओंकार पुत्र स्व0 मोतीलाल, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
12 श्रीनाथ पुत्र श्री मोतीलाल, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
13 सुनील कुमार भारती पुत्र स्व0 राम सुरेश, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
14 रमाकान्त प्रसाद पुत्र स्व0 हरहंगी, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
15 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बाबूलाल, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
16 शम्भूनाथ जोशी पुत्र श्री श्यामलाल, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
17 राम प्यारे पुत्र श्री बद्री राम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
18 रघुपति राम पुत्र श्री धनुषधारी राम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
19 देश राज सिंह, पुत्र श्री प्यारे लाल, अवर अभि0, हरदुआगंज तापीय परियोजना, हरदुआगंज–अलीगढ़।
20 राम सजीवन पुत्र श्री निहोरी, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
21 जयपाल सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
22 रविन्द्र सिंह केमकर पुत्र श्री धर्मजीत सिंह, अवर अभियंता, अनपरा–सोनभद्र।
23 प्रभुनाथ राम पुत्र श्री दूधनाथ राम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
24 कामेश्वर पुत्र श्री रामसुन्दर, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
25 मनोज कुमार, पुत्र श्री श्याम लाल राम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
26 राम नवमी पुत्र स्व0 सीताराम, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
27 हरिवंश पुत्र श्री बुद्धन, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
28 रमाशंकर पुत्र श्री बिहारी प्रसाद, अवर अभियंता, अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा–सोनभद्र।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–03)